vinetur

ऑस्ट्रेलिया ने उत्पादकों के सेलर डोर अनुदानों के लिए A $10 मिलियन की पेशकश की

आठवें दौर की योजना पात्र घरेलू बिक्री का 29% भुगतान करती है ; दावों की कुल राशि वार्षिक बजट से अधिक होने पर अनुदान घटेंगे।

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026

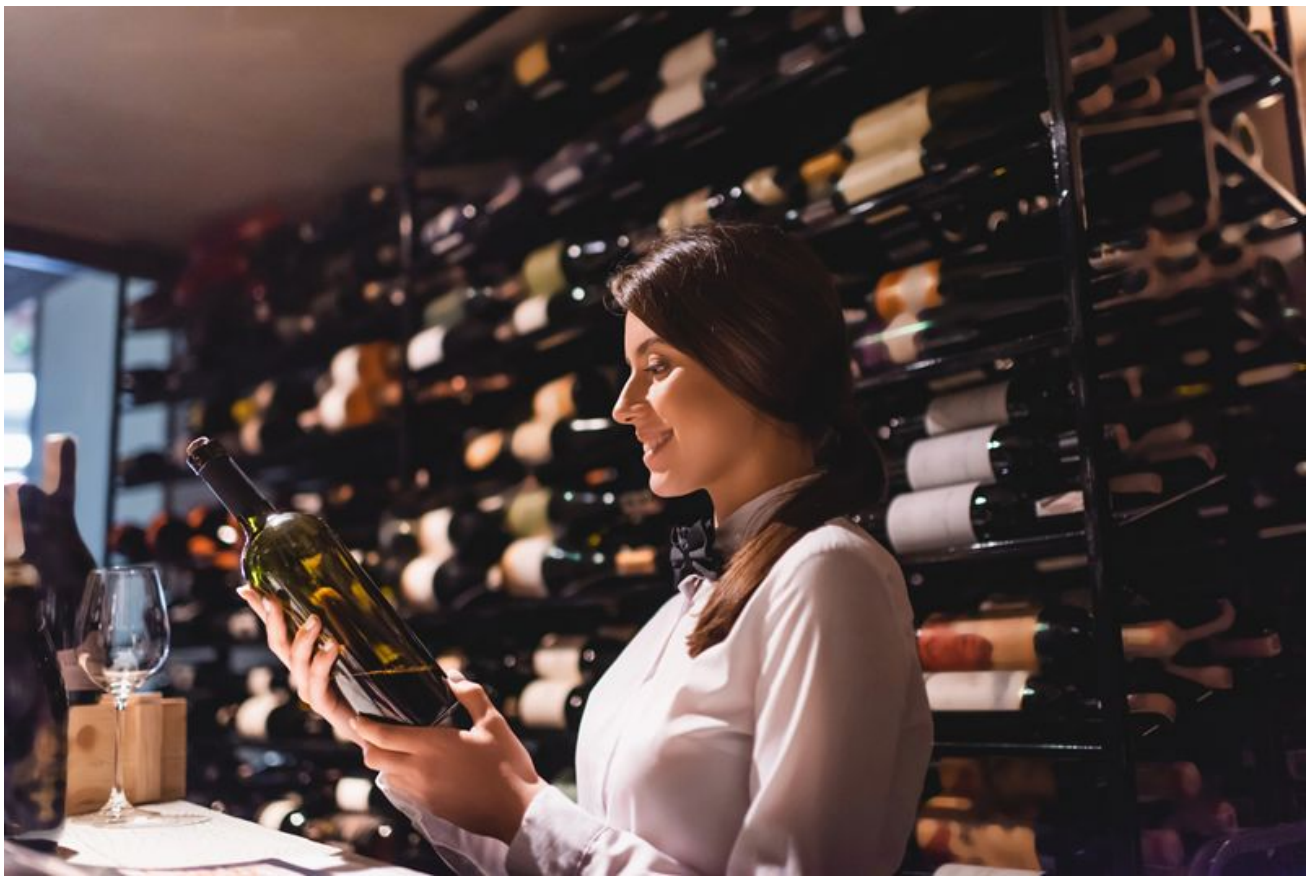

ऑस्ट्रेलिया इस साल घरेलू सेलर डोर बिक्री से सीधे जुड़े अनुदानों के लिए A $10 मिलियन उपलब्ध करा रहा है। Wine Tourism and Cellar Door Grants कार्यक्रम के नवीनतम दौर के तहत पात्र वाइन और साइडर उत्पादकों को भुगतान दिया जाएगा, जो प्रत्येक उत्पादक के लिए अधिकतम A $100,000 तक हो सकता है।

Wine Australia द्वारा संचालित मौजूदा दौर 24 अगस्त को खुला और 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे ACDT पर बंद होगा। यह आज घोषित कोई नई आवेदन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कार्यक्रम के आठवें दौर का हिस्सा है, जो 2025-26 के ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय वर्ष को कवर करता है।

Wine Australia द्वारा प्रकाशित नियमों के तहत, पात्र आवेदकों को GST को छोड़कर, पात्र रिबेट योग्य घरेलू सेलर डोर

बिक्री के अनुमानित थोक विक्रय मूल्य का 29% अनुदान मिल सकता है। प्रत्येक उत्पादक के लिए भुगतान की अधिकतम सीमा A $100,000 है। हालांकि, यह अधिकतम राशि अपने-आप नहीं मिलती। Wine Australia का कहना है कि इस वर्ष के लिए कुल राशि A $10 मिलियन तक सीमित है। यदि मंजूर किए गए आवेदनों की कुल राशि इससे अधिक हुई, तो हर सफल आवेदक के अनुदान में समान दर से आनुपातिक कटौती की जाएगी।

इस योजना के तहत सार्वजनिक सहायता का संबंध वाइनरी या साइडर उत्पादक के भौतिक परिसर में स्थित सेलर डोर पर की गई सीधी बिक्री से है, न कि पूंजीगत कार्यों या व्यापक पर्यटन प्रचार से। व्यवहार में, इसका अर्थ है कि उन उत्पादकों को सहायता मिलेगी जो अपने परिसरों में आने वाले आगंतुकों को पात्र घरेलू बिक्री में बदलते हैं। ऐसे समय में, जब ऑस्ट्रेलिया का वाइन क्षेत्र कमजोर निर्यात परिस्थितियों और बड़े भंडार से जूझ रहा है, यह तरीका वाइन पर्यटन को बिक्री के माध्यम के रूप में वित्तीय महत्व देता है।

पात्रता के नियम सख्त हैं। आवेदक वाइन या साइडर उत्पादक होने चाहिए और उनका GST पंजीकरण तथा सक्रिय Australian Business Number होना चाहिए। साथ ही, 2025-26 में उन्होंने GST को छोड़कर रिबेट योग्य वाइन की कम-से-कम A $1.207 मिलियन की बिक्री की होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, A $1.207 मिलियन की इस सीमा को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की गई बिक्री से अलग, उनकी पात्र घरेलू सेलर डोर बिक्री भी होनी चाहिए।

Wine Australia यह भी अनिवार्य करता है कि आवेदकों ने आवेदन में शामिल सभी पात्र बिक्री पर Wine Equalisation Tax (WET) चुकाया हो। 2025-26 के वित्तीय वर्ष के दौरान उनके पास ऑस्ट्रेलिया में एक भौतिक सेलर डोर का स्वामित्व या पट्टा होना चाहिए—सीधे तौर पर या किसी संबंधित इकाई के माध्यम से—और उस अवधि में वैध शराब लाइसेंस भी होना चाहिए।

A $10 मिलियन की कुल राशि वाइन और साइडर उत्पादकों के बीच साझा की जाएगी ; दोनों समूहों के लिए पहले से कोई अलग-अलग हिस्सा तय नहीं है। इसका मतलब है कि अंतिम वितरण सफल आवेदनों की संख्या और उनके मूल्य पर निर्भर करेगा, न कि श्रेणी के आधार पर तय किसी निश्चित आवंटन पर।

इस योजना का मुख्य सूत्र पात्र बिक्री के अनुमानित थोक विक्रय मूल्य पर आधारित है—यह ऑस्ट्रेलिया की वाइन रिबेट प्रणाली में इस्तेमाल होने वाली कर-संबंधी अवधारणा है। Wine Australia का कहना है कि आवेदन जमा करने से पहले आवेदकों को इस गणना को समझना चाहिए और सहायक दस्तावेज़ भी देने होंगे। इनमें वैधानिक घोषणा, सेलर डोर के स्वामित्व या पट्टे का प्रमाण और वैध शराब लाइसेंस का सबूत शामिल हैं।

अनुदान कार्यक्रम के साथ एक अलग कर उपाय भी है, जिसे इस साल अधिक उदार बनाया गया। 1 जुलाई से Wine Equalisation Tax रिबेट की अधिकतम सीमा A $350,000 से बढ़ाकर A $400,000 कर दी गई। पात्र उत्पादकों के लिए इससे संभावित वार्षिक लाभ में A $50,000 की वृद्धि हुई है, यानी 14.3% का इजाफा।

दोनों उपायों को साथ देखें तो पता चलता है कि कैनबरा स्थानीय माध्यमों से बिक्री करने वाले उत्पादकों की सहायता के लिए अनुदान और कर राहत, दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। सेलर डोर अनुदान उन कारोबारों के लिए हैं जो वाइन क्षेत्रों में आगंतुकों को आकर्षित करते हैं और उनकी यात्राओं को पात्र बिक्री में बदलते हैं। इसके विपरीत, WET रिबेट पात्र उत्पादकों के लिए एक व्यापक कर व्यवस्था है।

Wine Australia के अनुसार, सेलर डोर कार्यक्रम का उद्देश्य उन वाइन या साइडर उत्पादकों की सहायता करना है जो वाइन क्षेत्रों में आगंतुकों को प्रोत्साहित करके और इसके परिणामस्वरूप वाइन पर्यटन को बढ़ावा देकर अतिरिक्त मूल्य पैदा करते हैं। यह भाषा इस नीतिगत सोच को दर्शाती है कि सेलर डोर की गतिविधि केवल खुदरा बिक्री-केंद्र तक सीमित नहीं है। इसे वाइन क्षेत्रों की आगंतुक अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी माना जाता है, जहां चखने के कमरे अक्सर आवास, रेस्तरां, स्थानीय परिवहन और पर्यटन की अन्य सेवाओं पर खर्च को बढ़ावा देते हैं।

उत्पादकों के लिए तत्काल सवाल यह है कि क्या उनकी बिक्री और रिकॉर्ड 23 अक्टूबर की समयसीमा से पहले कार्यक्रम

की न्यूनतम शर्तों और दस्तावेज़ी मानकों को पूरा करते हैं। पात्रता की सीमा इतनी ऊंची है कि पर्याप्त कर-योग्य बिक्री न करने वाले छोटे कारोबार, पर्यटन के लिहाज से मजबूत मौजूदगी होने के बावजूद, पात्र नहीं होंगे। बड़े पात्र कारोबारों के लिए मुख्य अनिश्चितता यह है कि यदि योजना की मांग से मंजूर दावों की कुल राशि A $10 मिलियन की सीमा से ऊपर चली गई, तो अंतिम भुगतान दर क्या होगी।

यह जोखिम इसलिए अहम है क्योंकि 29% की घोषित दर तभी लागू होगी, जब पात्र अनुदानों की कुल राशि वार्षिक बजट के भीतर रहे। आवेदन सीमा से अधिक हुए तो मंजूर किए गए सभी आवेदकों के लिए वास्तविक भुगतान दर घट जाएगी। ऐसी स्थिति में उत्पादक को मिलने वाला अंतिम अनुदान मानक सूत्र से निकली राशि से कम होगा।

इस संरचना का मतलब यह भी है कि कार्यक्रम भविष्य की प्रस्तावित गतिविधियों के बजाय पिछले प्रदर्शन को पुरस्कृत करता है। आवेदकों का आकलन 2025-26 के वित्तीय वर्ष में हुई बिक्री के आधार पर किया जाएगा और राशि रिबेट के नियमों के अनुरूप, दस्तावेज़ों से प्रमाणित घरेलू सेलर डोर लेनदेन से जुड़ी है। सरकार के लिए इससे विवेकाधिकार कम होता है और सहायता सत्यापित व्यावसायिक गतिविधि से जुड़ती है। उत्पादकों के लिए, कर, लाइसेंस और बिक्री की शर्तें पूरी करने पर, सेलर डोर बिक्री सार्वजनिक धन हासिल करने का सीधा माध्यम बन जाती है।

यह नवीनतम दौर ऐसे समय में आया है जब ऑस्ट्रेलियाई वाइन उत्पादक निर्यात बाजारों में जारी अनिश्चितता के बीच घरेलू आय के स्थिर स्रोत तलाश रहे हैं। इस माहौल में सेलर डोर न केवल पर्यटन परिसंपत्तियां हैं, बल्कि अधिक मार्जिन वाली सीधी बिक्री के सबसे स्पष्ट माध्यमों में से एक भी हैं। अनुदान कार्यक्रम सामान्य विपणन दावों या बुनियादी ढांचे की योजनाओं के बजाय इन बिक्री से सार्वजनिक सहायता को जोड़कर इस वास्तविकता को दर्शाता है।